सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

समूह दुर्घटना बीमा योजना

मछुआरे एवं मत्स्यपालन से संबद्ध गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

www.nfdb.gov.in nfdbindia nfdbindia nfdbindia support@pmmsygais.com 1800-425-1660

परिचय

समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) जिसे मोटे तौर पर मछुआरों के लिए बीमा के रूप में वर्णित किया गया है, जो लाभार्थी उन्मुख केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के उप-घटकों में से एक है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत जीएआईएस को लागू करने के लिए एनएफडीबी एक नोडल एजेंसी है

पात्रता:

18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के मछुआरे बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे

मछुआरे कौन हैं:

मछुआरों में मछुआरे, महिला मछुआरे, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य किसान और सीधे तौर पर मछली पकड़ने और मत्स्यपालन से संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य श्रेणी शामिल है।

सेवा प्रदाता

बीमा कंपनी: मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)

बीमाकर्ता: प्रोविडेंस इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड

बीमा पॉलिसी और दावा राशि

पॉलिसी	विवरण	कवरेज	प्रीमियम
पॉलिसी 1	समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी (जीजेपीए) मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी) को कवर करती है।	रु.5 लाख	रु. 91.00 (जीएसटी लागू नहीं)
पॉलिसी 2	स्थायी आंशिक विकलांगता (पीपीडी) और अस्पताल में भर्ती को कवर करने वाली विशेष आकस्मिक पॉलिसी।	पीपीडी: रु. 2,50,000/- तक अस्पताल में भर्ती: रु..25,000/-	रु.4.00/- (जीएसटी सहित)
		कुल	**रु. 95.00**

बीमा प्रीमियम हिस्सेदारी का पैटर्न -

- प्रति मछुआरा/प्रति वर्ष कुल प्रीमियम राशि रु.95/- है।
- केंद्र सरकार और सामान्य राज्य सरकार के बीच 60:40 (रु.57/- : रु.38/-), केंद्र सरकार और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 (रु.85.5 : रु.9.5), केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार का हिस्सा - रु.95/-
- कोई लाभार्थी (मछुआरे) अंशदान नहीं है
- बीमा कवरेज बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करने की तारीख से लागू होगा।

बीमा प्रकोष्ठ

जीएआईएस के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एनएफडीबी में बीमा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसमें एनएफडीबी के अधिकारी, बीमाकर्ता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रकोष्ठ योजना

की निगरानी करता है और बीमा दावों के निपटान के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग और बीमा कंपनी के साथ समन्वय करता है। किसी भी जानकारी के लिए pmmsygais@gmail.com पर मेल की जा सकती है।

कवर किए जा सकने वाले दावे

- समुद्र/सड़क/रेलवे आदि में दुर्घटनाएं।
- जल निकायों में डूबना/लापता होना
- आग के कारण/जहरीले पदार्थों के रख-रखाव के कारण घटित दुर्घटना
- आकाशीय बिजली गिरना या बिजली का झटका लगना
- मशीन पर काम करते समय दुर्घटना
- हत्या, दंगा
- ऊंचाई से गिरने से दुर्घटना या मौत
- सांप के काटने / बिच्छू के काटने / जानवर के काटने / रेबीज / किसी भी जानवर द्वारा किसी भी प्रकार की चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु या अंग की क्षति होती है
- कोई अन्य दुर्घटना

दावे जिन्हें कवर नहीं किया जा सकता

- आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
- खुद से लगी चोट
- गर्भावस्था बहिष्कार खंड
- पहले से मौजूद शारीरिक या मानसिक दोष, संक्रमण
- नशीली शराब या नशीली दवाओं से प्रभावित होने पर
- बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना
- निकटतम लाभार्थी/ नामिति द्वारा हत्या
- प्राकृतिक मृत्यु

बीमा दावों की जानकारी कैसे दें

- एनएफडीबी बीमा प्रकोष्ठ/बीमा कंपनी/बीमाकर्ता को पत्र (आरपीएडी के मामले में डाक की तारीख और अन्य सभी मामलों में प्राप्ति की तारीख)
- एनएफडीबी बीमा प्रकोष्ठ को ई-मेल के माध्यम से : pmmsygais@gmail.com

समय-सीमा

- बीमा कंपनी को दावे की सूचना दुर्घटना की तारीख से *120 दिनों के भीतर* दी जानी चाहिए।
- बीमा कंपनी को दावा दस्तावेज दुर्घटना की तारीख से*180 दिनों के भीतर* जमा करने होंगे।
- बीमा प्रकोष्ठ *3 कार्य दिवसों* के भीतर बीमा कंपनी को दावा सूचना साझा करेगा।
- राज्य/जिला मात्स्यिकी अधिकारी किसी भी प्राप्त दावा सूचना को *7 कार्य दिवसों के भीतर* बीमा प्रकोष्ठ को भेजेंगे।
- राज्य/जिला मात्स्यिकी अधिकारी अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद *7 कार्य दिवसों के भीतर* बीमा

प्रकोष्ठ को कवरिंग पत्र के साथ मूल दावा दस्तावेज भेजेंगे, जिसे एमआईएस के माध्यम से अपलोड किया
सकता है और इसके बाद सभी दस्तावेजों को डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है।

- मैसर्स ओआईसीएल सभी संगत दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद *15 कार्य दिवसों के भीतर* दावे का निपटान करेगा।

दावा दस्तावेजों की सूची :

1. मूल दावा सूचना प्रपत्र
2. बीमाधारक/दावाकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित मूल बीमा दावा प्रपत्र
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रमाणित प्रति
4. पंचनामा की प्रमाणित प्रति (स्पॉट पंचनामा / पूछताछ पंचनामा)
5. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (पीएमई) की प्रमाणित प्रति
6. जिला मात्स्यिकी अधिकारी का प्रमाणित पत्र एवं राज्य मत्स्यपालन विभाग के प्रधान कार्यालय से अनुशंसा पत्र
7. मूल मृत्यु प्रमाण पत्र
8. मूल परिवार सदस्य प्रमाण पत्र (कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र)
9. अखबारों की कतरन, यदि कोई हो
10. अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट/मृत्यु संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट
11. संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) बैंक खाता प्रपत्र
12. रु.1/- की रसीदी टिकट चिपकाने के साथ दावाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित डिस्चार्ज वाउचर
13. डूबने के मामले में दो गवाहों का बयान
14. डूबने या जहरीले पदार्थ के रख-रखाव या विशिष्ट मामलों में निष्कर्ष सहित एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट/रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट
15. वैध ड्राइविंग लाइसेंस (सड़क दुर्घटना में जब बीमित व्यक्ति चालक रहा हो)
16. पुलिस अधिकारियों से अंतिम जांच रिपोर्ट (एफआईआर)
17. आधार कार्ड कॉपी/वोटर आईडी कॉपी/राशन कार्ड- निवास पता प्रमाण के रूप में
18. नामित व्यक्ति का पैनकार्ड
19. मछुआरा सहकारी समिति सदस्यता प्रमाण पत्र / मछली पकडने का लाइसेंस
20. हलफनामा / अनापत्ति प्रमाण पत्र (एक से अधिक परिवार सदस्यों के मामले में)
21. लापता मामलों के लिए क्षतिपूर्ति बॉड
22. डूबने और अन्य विशिष्ट मामलों के साक्ष्य

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
मत्स्य भवन, स्तम्भ सं.235, पी.वी.नरसिम्हा राव एक्प्रेस वे, एस.वी.पी.एन.पी.ए., हैदराबाद, तेलंगाना 500052
एनएफडीबी टोल-फ्री नम्बर (1800-425-1660)
मेल आई.डी.: pmmsygais@gmail.com